

7/1/2006

पंजीयन क्रमांक 771/06

दिनांक 25-8-2006

डिस्पेच नं. 615

दिनांक 25/8/06

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री **श्यांकर भगवान गौशाला**

ग्राम पो. **सलरवा**

तहसील **जैसलमेर**

जिला **जैसलमेर**

के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री **धन्ना राम, अध्यक्ष**

न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला

श्री **श्यांकर भगवान गौशाला, ग्राम पो. सलरवा** ने राजस्थान गोशाला

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक **पञ्चीस अगस्त**

वर्ष **दो हजार दू:**



श्यांकर भगवान गौशाला
पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं उपनिदेशक
गोशाला, राजस्थान, जयपुर
25-8-2006

राजस्थान स्टेट गौशाला फेडरेशन, जयपुर
(राजस्थान गोशाला एक्ट 1960 की धारा 3 के निर्देशानुसार गठित)
सी-120/121, गौमाता भवन, बजाज नगर, जयपुर-15 फोन : 2706261

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक.....55...../जैसल/2024-2025..

यह प्रमाणित किया जाता है कि शंकर विकास एवं
सेवा संस्थान, सलखा — जिला जैसलमेर का
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अर्न्तगत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक.....23.....माह.....नवम्बर.....सन् दो हजार...04...को
जैसलमेर में दिया गया ।



रजिस्ट्रार संस्थाएं
जैसलमेर